विभाग का नाम :– श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :– 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054
अतारांकित प्रश्न संख्या :– 172
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री आदर्श शास्त्री, सदस्य, दिल्ली विधान सभा
दिनांक :– 8 अगस्त, 2018
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

कम सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	श्रमिकों के संरक्षण के लिए पिछले तीन सालों में किए गए उपायों की जानकारी;	गत तीन वर्षों में श्रम विभाग को जब–जब श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है, इसके आधार पर प्रबंधकों के विरूद्ध भिन्न–भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, ठेका श्रम अधिनियम 1970, बोनस अधिनियम 1965, दिल्ली दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1954 इत्यादि–इत्यादि के अंतर्गत मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान/ प्रोसिक्यूशन प्रेषित किये गये हैं । प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत संराधन कार्यवाही की जाती है और यदि संराधन कार्यवाही के दौरान विवाद सुलझाये नहीं जाते हैं तो इन विवादों को माननीय श्रम न्यायालय को प्रेषित किये जाते हैं।
(ख)	श्रमिकों का वेतन विसंगतियों को ठीक करने व काम की दशा के हिसाब से वेतन सुनिश्चत करने के लिए पिछले तीन सालों में क्या उपाय किए गए;	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में दिनांक 03.03.2017 को एक अधिसूचना जारी कर न्यूनतम वेतन में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी । इसके अनुसार अकुशल श्रमिक को 13,350/–रुपये प्रति माह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 14,698/– रुपये प्रति माह तथा कुशल श्रमिक को 16,182/– रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित किया

Secretary cum Commissioner (Labour)

		गया। इसके अतिरिक्त "न्यूनतम वेतन दिल्ली (संशोधित) अधिनियम, 2017" जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा न्यूनतम वेतन न दिए जाने के विरूद्ध 20,000/– रूपये से 50,000/– रूपये तक जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
(ग)	अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है;	उपरोक्त प्रश्न ख के उत्तर में वर्णित । इसके अतिरिक्त प्रभावित कर्मचारी, अधिसूचित अधिकारी के समक्ष अपना वेतन संबंधित दावा लगा सकता है, सुनवाई के पश्चात अधिकारी द्वारा उचित आदेश पारित किए जाते हैं, जिसमें 10 गुना तक का मुआवजा दिया जाता है।
(घ)	द्वारका विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लोग छोटे–छोटे संस्थानों में काम करते हैं, लगातार उन लोगों से शिकायत मिलती है कि नियोक्ता संस्थान द्वारा उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती; बोलने पर काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है; इस प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए किस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है; और	जब भी इस प्रकार की शिकायतें श्रम विभाग को प्राप्त होती हैं, श्रम विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा भिन्न–भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधकों के विरूद्ध चालान/ प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही की जाती है ।

Secretary cum Commissioner (Labour)

(ड)	दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की अधिसूचना के बावजूद बहुत से संस्थान श्रमिकों को कम वेतन देते है, इससे निपटने के क्या उपाय है?	श्रम विभाग द्वारा 03.03.2017 को अधिसूचना जारी करके न्यूनतम वेतन की दरें 37 प्रतिशत बढाई गयी, परन्तु इस अधिसूचना के विरूद्व माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 82 याचिकायें दाखिल की गयी, विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में अपना उत्तर/पक्ष सरकारी वकील के माध्यम से रखा गया एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 मार्च 2017 को यह आदेश जारी किए गए कि श्रम विभाग द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य के विरूद्व कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

Secretary cum Commissioner (Labour)